न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 09/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00021

अपीलांटगण :–

1. मोहनी पुत्री स्व. चिमनाजी जाति रजपूत, निवासी गुरडाई तहसील व जिला पाली (राज.)
2. चौथकी पुत्री स्व. चिमनाजी जाति रजपूत, निवासी गुरडाई तहसील व जिला पाली (राज.)
3. हंजा पुत्री स्व. चिमनाजी पत्नी भंवरसिंहजी जाति रजपूत निवासी काणदरा तहसील व जिला पाली (रा.ज)
4. गंगा पुत्री चिमना पत्नी मगसिंहजी के का.मु.
   4/1. भंवरसिंह पुत्र मगसिंहजी
   4/2. माधुसिंह पुत्र मगसिंहजी
   4/3. स्व. छैलसिंह पुत्र मगसिंहजी के कायम मुकाम :–
   4/3/1. श्रीमती विमला पत्नी स्व. छैलसिंहजी
   4/3/2. महिपालसिंह पुत्र स्व. छैलसिंहजी नाबालिग जरिए माता श्रीमती विमला
   जातियान रजपूत निवासीगण गुडा नारखान तहसील व जिला पाली (राज.)
   4/4. कन्या पुत्री मगसिंहजी पत्नी सोहनसिंह जाति रजपूत निवासी जूनी एंदला तहसील व जिला पाली (राज.)
   4/5. प्यारकी पुत्री मगसिंहजी पत्नी मांगुसिंहजी जाति रजपूत निवासी भीमालिया तहसील खारची जिला पाली (राज.)
   4/6. मिश्री पुत्री मगसिंहजी पत्नी जयसिंहजी जाति रजपूत निवासी डेन्डा तहसील व जिला पाली (राज.)
   4/7. उमकी पुत्री मगसिंहजी पत्नी बुद्धसिंहजी जाति रजपूत निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–

1. हमीरसिंह पुत्र अचलसिंहजी जाति रजपूत निवासी काणदरा तहसील व जिला पाली (राज.)
2. दरिया पुत्री चिमनाजी पत्नी हमीरसिंहजी जाति रजपूत निवासी काणदरा तहसील व जिला पाली (राज.)
3. दाखु पत्नी रूपसिंहजी जाति रजपूत निवासी कवला तहसील आहोर जिला जालोर (राज.)
   (मृत्तक चिमनाजी की पुत्रवधु)
4. तहसीलदार, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री पी.एम. जोशी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 4-3-21

अधिवक्ता अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम गुरडाई के नामान्तरकरण संख्या 274 जिसे नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.10.77 के द्वारा स्वीकृत किया उसे विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमि[illegible]ट के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील को अन्दर म्याद मानने हेतु भी पेश [illegible] है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडें[illegible] अधीनस्थ रेकर्ड तलब किया गया बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया [illegible] ग्राम गुरडाई तहसील [illegible] कृषि भूमी खसरा नम्बर 809 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/2 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 992 मीन रकबा 19 बीघा व खसरा नम्बर 62/1 रकबा 1 बिस्वा कुल 47 बीघा 7 बिस्वा भूमी चिमना पुत्र अजा के खातेदारी की स्थित थी। चिमना के स्वर्गवास के उपरांत आराजी के खातेदारी अधिकार उतराधिकारी अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को प्राप्त हुए ।

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

चिमना के 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र रूपसिंह था। रूपसिंह का स्वर्गवास भी हो चुका है तथा चिमना की पत्नी वसनी का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने के लगभग 5 माह पहले हो गया। ऐसी स्थिति में उसके वारिसानों के नाम नामान्तरकरण कराने हेतु पटवार हल्का के पास गया तो 26.10. 2018 बताया कि स्व. चिमना की पुत्रियों का नाम कहीं पर भी रेकर्ड में दर्ज नहीं है। भूमी चिमना की पत्नी वसनी के नाम चिमना के फौत होने पर दर्ज कर दिया है एवं वसनी द्वारा इस भूमी का बेचाण हमीरसिंह को कर दिया। तब अपीलार्थीगण ने रेकर्ड के बारे मे पता कराया व नामान्तरकरण की नकल मांगी जिसमें चिमना के फौत होने पर भूमी वसनी के नाम दर्ज की गई। अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 274 की नकल दिनांक 27.10.2010 को दी गई। मिलने पर यह अपील नामान्तरकरण के विरूद्ध पेश की जा रही है। नायब तहसीलदार पाली द्वारा चिमना की मृत्यु के बाद पत्नी वसनी अकेली के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जब कि चिमना के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वसनी एक पुत्र पुत्र रूप सिंह व 5 पुत्रियां थी उनका नाम भी नामान्तरकरण में इन्द्राज किया जाना चाहिए इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण पटवार हल्का द्वारा मनमर्जी से बिना वारिसान की जांच किए भरा गया एवं नायब तहसीलदार ने उसी दिन स्वीकृत कर दिया जो निरस्त योग्य है फौतेदगी नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया जाता है अगर 45 दिन तक वह नहीं करे तभी नायब तहसीलदार पाली को नामान्तरकरण स्वीकार करना चाहिए था लेकिन नामान्तरकरण पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर पाली की जाचं दिनांक 06.10.1977 की है तथा उसी दिन वह नायब तहसीलदार पाली द्वारा पारित किया गया इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में पेश ही नहीं किया गया। जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। उक्त नामान्तरकरण में चिमना की पत्नी 5 पुत्रीयां एवं 1 पुत्र कुल 7 उत्तराधिकारी थे वसनी का मात्र 1/7 वां हिस्सा ही होता है उसके स्थान पर वसनी के ही नाम सम्पूर्ण भूमी का नामान्तरकरण इन्द्राज कर दिया जिसे वसनी द्वारा हमीरसिंह रेस्पोडेंट संख्या 1 जो उसकी एक पुत्री का पति है उसको बेच दिया इस प्रकार 1/7 हिस्से की हकदार वसनी ने 1/7 से अधिक सम्पूर्ण भूमी का बेचान कर दिया जाने से उक्त अन्तरण भी शुन्यवृत है उसके लिए अलग से वाद की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट को स्व. चिमनाजी की पुत्रियां होना रेस्पोडेंट ने स्वयं अपने जबाब में स्वीकार किया है जो जबाब के पद संख्या 3,4,7,8 में उल्लेखित है विधिक वारिसान पुत्रियां व पुत्र का नाम दर्ज नहीं करने से उसके हक अधिकार समाप्त नही होते है। भूमी वसनी द्वारा बेच देने से अपने हक हकूकों से वंचित हो गए है ऐसे प्रकरण ab initio void होने से म्याद का प्रश्न इसमें बाधा नहीं है। 45 दिवस पूर्व ही नायब तहसीलदार पाली नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। इसलिए भी नामान्तरकरण खारिज योग्य है। वकील अपीलांट द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2006 RRD 837, 2002 RRD 669, 2009(2) RRT 1102, 2002 RRD 338, 2005(1) RRT 646, 2008 (2) 1183 (HC) , Sec. 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मय अनुसूची वर्ग–। , भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 एवं 2020 (3) DNJ 817(SC) पेश करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमावे एवं चिमना के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कराने के आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण 06.10.1977 को स्वीकार किया गया था। जिसकी अपील 2010 में 33 वर्षों बाद की गई है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। रूपसिंह जो चिमना का पुत्र है उसकी मृत्यु भी कई वर्षों पूर्व हो चुकी है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अधिनियम भूतलक्षी नहीं है। जो 09.09.2005 को प्रभाव में आया है इसलिए पूर्व में पारित नामान्तरकरण को यह प्रभावित नहीं करता है। इसके अनुसार अपील खारिज योग्य है। जैर अपील आराजी आगे हमीरसिंह के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चूकी है तथा उसका कब्जा काश्त उक्त भूमी पर है जो कई वर्षों से है। इसके लिए इस अपील के जरिए अनुतोष नहीं दिया जा सकता है अपीलांट को घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में लाना चाहिए। वसनी जमाबन्दी में चिमना के बाद खातेदार दर्ज थी। तथा उसके द्वारा भूमी विक्रय हमीर सिंह के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के किया है किसी सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना अपीलांटगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसके तहत पक्षकारों के हक तय नहीं किए जा सकते है वह तो नियमित दावे से ही संभव है। अपीलार्थी द्वारा अपील में हुई देरी का कोई तर्क संगत कारण नहीं बता सके है इसलिए भी अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। नामान्तरकरण राजस्व (कर) कार्यवाही है केवल रेकर्ड में परिवर्तन मुकदमों में पक्षकारों को कोई अनुतोष नहीं दे सकता। परन्तु यह नई कार्यवाहियों (मुकदमें बा[illegible] देता है उक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण य[illegible] अपीलांट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपने तर्कों के [illegible] 279(BOR) page (282,283) , 2018 RBJ 284 (BOR) Page 292, 2006-07 Supp. RRT 261 page 264, 2006-07 Supp. RRT 292, 2002 (1) RRT 33, 2002 RBJ 430, [illegible]03 (1) RRT 647 प्रस्तुत किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........3

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। पुत्रियों व पुत्र के हक अधिकार को अवैधानिक रूप से स्वीकृत नामान्तरकरण के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा नामान्तरकरण प्रारम्भ से शुन्य होने से म्याद का प्रश्न भी इसमें बाधा नही है। अतः नामान्तरकरण अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। जैर अपील नामान्तरकरण को दर्ज करते समय चिमना के वारिसान उसकी पत्नी वसनी तथा उसकी 5 पुत्रियां तथा एक पुत्र थे इन सभी के जिवित रहते जैर अपील नामान्तरकरण अकेले चिमना की पत्नी वसनी के नाम भर दिया इससे स्पष्ट है कि चिमना के वारिसान की जांच नहीं की गई तथा उनको सुना भी नहीं गया एवं अकेले वसनी के नाम नामान्तरकरण भर दिया जो निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण पंचायत में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। जबकि पंचायत द्वारा 45 दिनों में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करने पर 45 दिवसों के बाद ही नायब तहसीलदार नामान्तरकरण को स्वीकृत कर सकता है। इस कारण से जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सम्बन्धी न्यायिक दृष्टांत 2020(3) DNJ 817 (SC.) के अनुसार 09. 09.2005 पर संशोधन किया गया उसके अनुसार सहदायी सम्पति में पुत्री के अधिकार संशोधन को भूतलक्षी माना गया है। क्योंकि सहदायिकी में अधिकार जन्म से है उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पुत्रियों व पुत्र के हक अधिकार को अवैधानिक रूप से स्वीकृत नामान्तरकरण के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 274 ग्राम गुरडाई जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 06.10.1977 को स्वीकृत किया गया उसे निरस्त किया जाकर तहसीलदार पाली को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. चिमना के वारिसान की बाद जांच उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए समस्त वारिसान के नाम इन्द्राज हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-3-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested